राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

क्रमांकः एफ5 (4)आप्रसआ/~~नप~~/~~पआ~~/2009-10 ~~नाबद~~ 2221-51 जयपुर,दिनांक 27.1.10

जिला कलेक्टर,
अजमेर/अलवर/बांसवाडा/बाडमेर/
भीलवाडा/बीकानेर/बून्दी/चित्तौडगढ/
चूरू/दौसा/डूँगरपुर/गंगानगर/हनुमानगढ/
जयपुर/जैसलमेर/जालौर/झुन्झुनू/जोधपुर/
नागौर/पाली/राजसमन्द/सवाईमाधोपुर/
सीकर/सिरोही/टोंक/उदयपुर।

विषयः— अभाव संवत 2066 में अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशु पालकों के पशुओं को अनुदानित दर पर पशु आहार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त विषयान्तर्गत लेख है कि पशु आहार की उपलब्धता के सम्बन्ध में सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद 6 के बिन्दु संख्या 6.2.11 एवं अनुच्छेद 7 के बिन्दु संख्या 7.2.16 में दिये गये निर्देश इस प्रकार हैं :—" यह पशु आहार आर.सी.डी.एफ./ राजफैड द्वारा निर्मित या मार्केटिंग सोसाइटी/ उपभोक्ता संघ द्वारा क्रय किये जाने वाले पशु आहार ही उपलब्ध कराया जावे।"

इसी प्रकार संवत 2066 के लिए विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 21.12.2009 में इस सम्बन्ध में दिये गये निर्देश इस प्रकार हैं :—"पशु आहार अनुदान राजस्थान राज्य सहकारी डेयरी फेडरेशन/राजफैड द्वारा निर्मित पशु आहार उपलब्ध कराये जाने पर ही अनुदान देय होगा।"

पशु आहार की सम्पूर्ण मांग की तुलना में आर.सी.डी.एफ./राजफैड की उत्पादन क्षमता अति न्यून होने के कारण पर्याप्त आपूर्ति बनाये रखने के हित में राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि अब उक्त निर्देशों के साथ ही राजफैड द्वारा क्रय कर आपूर्ति किये गये पशु आहार पर भी अनुदान देय होगा। इस हेतु निम्नांकित शर्तो की पालना आवश्यक होगी :—

1. इस प्रकार आपूर्ति किये जाने वाले पशु आहार की गुणवत्ता उसी स्तर की होगी जो कि इन संस्थाओं द्वारा निर्मित किये जाने वाले पशु आहार की रहती है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु जिम्मेदारी राजफैड की होगी।
2. आपूर्ति किये गये पशु आहार की दर निर्मित पशु आहार से अधिक नहीं होगी।
3. राजफैड को जिला कलेक्टर्स द्वारा प्रस्तुत मांग अनुसार पर्याप्त आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
4. उचित गुणवत्ता, उचित दरों पर पर्याप्त पशु आहार की आपूर्ति की व्यवस्था पर सहकारिता विभाग भी आवश्यकतानुसार निगरानी रखेगा।

यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

27.1.10
शासन सचिव,
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता

प्रतिलिपि :—

1. विशिष्ट सहायक, मा0 आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मन्त्री, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग को उनके पत्रांक पीएस/पीएससी/10 दिनांक 12.1.2010 के सन्दर्भ में।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, राजस्थान क्रय विक्रय संघ, जयपुर।
5. समस्त सम्भागीय आयुक्त, राजस्थान।

शासन उप सचिव